राजस्व अपील...
बाड़मेर

6/XI/2021	पत्रावली रेस्पाडेंट की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 4 CPC सपठित धारा 151 पर तलब की गई। उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। रेस्पो. अधिवक्ता का मुख्यतः कथन रहा है कि अधी० न्यायालय के आदेश दि 13/9/2021 की पालना एवं प्रभाव को न्यायालय हाजा के आदेश दि 28/9/2021 से स्थगित किया है जिसे खारिज किया जाकर उसे रहवासीय मकान जो निर्माणाधीन है उसे पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की जावे। आवेदन पत्र पर अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए उनके निवेदन को स्वीकार करने में आपत्ति जाहिर की और बताया कि न्यायालय हाजा ने सयुक्तिक आदेश पारित किया है जिसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।	रेकर्ड प्राप्त

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6/X/2021	उभय पक्ष को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है इसलिए मामले में अंतिम बहस समाप्त की तारीख निर्धारित आदेश किया जाना न्यायसंगत है। अदालत हाला में उभय पक्ष के पक्षकार श्री मय अपने-2 अधिवक्ता उपस्थित हैं। अपीलांट शंकरराम की शिनाख्त तथा रेस्पो० सं.3 की शिनाख्त इनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। इनसे भी मामले में अतिरिक्त जानकारी एवं मौके की वास्तविक स्थिति के बारे में जाना गया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में एक FIR No. 121/15-6-19 दर्ज हुई जिसके अपराध विवरण फार्म में घटनास्थल का वर्णन का उल्लेख आधार माना जाकर इसे रिकॉर्ड पर उभय पक्ष की सहमति से लिया गया जिसे "परिशिष्ट क" से नामित कर संलग्न पत्रावली किया गया। रेस्पांडेंट का निर्माणाधीन मकान इस परिशिष्ट "क" में लाल-स्याही के चोकोर से अंकित कर इसका स्थल निश्चित किया है जिससे दोनो पक्ष सहमत हैं एवं उनकी सहमति के प्रमाण स्वरूप इनके स्वयं के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान मय वकीलों के हस्ताक्षर हैं। यह निर्माण स्थल परिशिष्ट 'क' में दर्शाये नीम के पेड़ के पास है। इस स्थल पर रेस्पो० मकान जो निर्माणाधीन है इसे पूर्ण करते हैं तो अपीलांट पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कोई नया निर्माण नहीं करे। परिशिष्ट 'क' में मुतनाजा व मुलाजिम शंकरराम का सामलाती खेत भी दर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि इसमें दोनो अपने-2 हक हिस्से के अनुरूप काबिज हैं। अपीलांट पक्ष का कहना है कि रेस्पो० उनके हक-हिस्से वाली इस दर्शित सामलाती भूमि में उनके कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करे। P.T.O [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय प्रतिहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की है और वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु घोषणा का वाद विचाराधीन है। शामलाती खाते काश्त वाली भूमि पर उभय पक्ष का अपने-2 हक हिस्से अनुसार कब्जा होना पाया जाता है। लिहाजा मामला प्रथमदृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु किसी एक के पक्ष में नहीं होकर संतुलित रूप से दोनों के पक्ष में है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि वाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के, उपरोक्त परिशिष्ट "क" में दर्शित लाल चौकोर स्थल पर रिपो० की नव निर्माण पूर्ण करने के अलावा, मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे तथा वे परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में कोई दखलंदाजी नहीं करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

ह०

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर